



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 499]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 10 दिसम्बर 2015—अग्रहायण 19, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2015

क्र. एफ-बी-4-20-2015-2-पांच-(23).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश वित्त निगम द्वारा हाउसिंग एण्ड अरबन डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड (हुडको) के पक्ष में निष्पादित किए जाने वाले ऋण संबंधी करार पर उक्त अधिनियम की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 6 (छ) के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2015

क्र. एफ-बी-4-20-2015-2-पांच-(23).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग का आदेश क्रमांक एफ-बी-4-20-2015-2-पांच-(23), दिनांक 10 दिसम्बर 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव,

Bhopal, the 10th December 2015

No. F-B-4-20-2015-2-V-(23).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.II of 1899), the State Government, hereby, remits the stamp duty chargeable under Article 6(g) of Schedule 1-A of the said Act on Loan Agreement to be executed by Madhya Pradesh Financial Corporation in Favour of housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO).

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.